।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत नंगला रायसीस

राजस्व अपील सं० 5/21 /2021/ तारीख रज्जू: 14/12/2021

01– विरेन्द्र यादव पुत्र स्व० श्री मातादीन यादव जाति अहीर निवासी कटोरी वाला तिबारा, रायसीस तहसील अलवर

–अपीलाण्ट

बनाम

01– ग्राम पंचायत नंगलारायसीस पंचायत समिति किशनगढबास तहसील व जिला अलवर जरिये सरपंच

02– रामप्रताप यादव पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी कटोरी वाला तिबारा, रायसीस तहसील व जिला अलवर

03– रामसिंह पुत्र श्री श्रीराम

04– भूपसिंह पुत्र श्री श्रीराम

05– ओमप्रकाश पुत्र श्री श्रीराम

जातियान माली निवासीयान देहली हाल निवासी 1/234 केशन नगर अलीगढ उत्तर प्रदेश

06– प्रेमवती पुत्र श्रीराम जाति माली निवासी देहली हाल निवासी 305 साउथ वेस्ट ब्लॉक, अलवर

07– ओमवती पुत्री श्रीराम जाति माली निवासी देहली हाल निवासी ग्राम चोरोटी पहाडी तहसील रामगढ जिला अलवर

–रेस्पोडेण्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध इंतकाल संख्या 909 दिनांक 05.04.2017 ग्राम पंचायत नंगला रायसीस उपतहसील बहादारपुर तहसील व जिला अलवर

–: निर्णय :– दिनांक: 30.12.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत नंगला रायसीस तहसील व जिला अलवर के निर्णय दिनांक 05.04.2017 इंतकाल संख्या 909 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसमें अपीलाण्ट ने निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 651 रकबा 1.08 है०, 652 रकबा 1.11 है०, 675 रकबा 0.20 है०, 676 रकबा 0.01 है०, 677 रकबा 1 है०, 678 रकबा 0.25 है०, 679 रकबा 019 है० वाके ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी के 1/2 हिस्सा के खातेदार अशोक पुत्र शेरसिंह, नत्थो पुत्र शेरसिंह, लाली पुत्री शेर सिंह व गुड्डो पुत्री शेरसिंह थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से 1/4 हिस्सा रामसिंह, भूपसिंह, ओमप्रकाश पुत्रान श्रीराम, प्रेमवती, ओमवती पुत्रीयान श्रीराम खातेदार दर्ज हो गई। लेकिन सम्पूण वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा के काश्तकार अशोक पुत्र शेरसिंह, नत्थो पुत्र शेरसिंह, लाली पुत्री शेर सिंह व गुड्डो पुत्री शेरसिंह थे, जिस आराजी में से अपनी खातेदारी की आराजी में 1/4 हिस्से का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा रमेश, रामप्रताप, नौबत, विरन्द्र पुत्रान मातादीन को कर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

दिया। इसी प्रकार 1/4 हिस्से का बेचान दिनांक 09.08.2010 को जर्ये हलफनामा मुबलिक 30,00,000/- रूपये में रमेश, रामप्रताप, नौबत, विरेन्द्र पुत्रान मातादीन को कर दिया। मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया। क्रेतागण अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार सुरेश चन्द, रमेश चन्द, महेश चन्द, सुरेन्द्र छोटेलाल पुत्रान झम्मन थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से पूरण, ताराचन्द पुत्रान अर्जुन के खातेदारी में दर्ज हो गई लेकिन सम्पूर्ण वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा के काबिज काश्तकार सुरेश चन्द, रमेश चन्द, महेश चन्द, छोटेलाल, सुरेन्द्र पुत्रान झम्मन थे जिस आराजी मे से अपनी खातेदारी की आराजी में 1/4 हिस्से का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा रमेश, रामप्रताप, नौबत, विरेन्द्र पुत्रान मातादीन को कर दिया गया। इस प्रकार 1/4 हिस्से के कब्जे का बेचान दिनांक 19.12.2006 को जर्ये हलफनामा मुबलिग 24,00,000/- रूपये में रमेश, रामप्रताप, नौबत, विरेन्द्र पुत्रान मातादीन को कर दिया। मौके पर कब्जा संभलवा दिया। क्रेतागण मौके पर काबिज है।

इस प्रकार के विवादित आराजी के 1/4 भाग के अशोक, नत्थो, लाली, गुड्डो वारिसान शेरसिंह 1/4 भाग के सुरेश चन्द, रमेश चन्द, महेश चन्द, छोटेलाल, सुरेन्द्र वारिसान झम्मन खातेदार काश्तकार थे एवं 1/2 भाग पर मौके पर काबिज होकर खातेदार काश्तकार थे जिस आराजी से पूरण चन्द, ताराचन्द, पुत्रान अर्जुन एवं रामसिंह, भूपसिंह, ओमप्रकाश, प्रेमवती, ओमवती वारिसान श्रीराम को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही था ओर ना ही मौके पर काबिज काश्तकार थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो जाने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगा० 7 रामसिंह, भूपसिंह, ओमप्रकाश, प्रेमवती, ओमवती वारिसान श्रीराम के द्वारा बेजा तौर से बिना कब्जा एवं बिना किसी हक व अधिकार के फर्जकारी करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.01.2011 को तहरीर व तकमील करा दिया। जिस बैयनामा के आधार पर बिना मौके के कब्जे की जांच किये बिना अपीलाण्ट को सुने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से ग्राम पंचायत से मिलीभगत करते हुए एवं साजबाज होकर इंतकाल संख्या 909 दिनांक 05.04.2017 स्वीकार कराकर राजस्व रिकार्ड में अमल करा दिया। जो इंतकाल मिन अपीलाण्ट के हक हकूको के मुकाबले बातिल व बेअसर एवं शून्य करार दिये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगा० 7 का वक्त बेचान या उससे पूर्व मौके पर कब्जा व काश्त कभी नही रहा ना ही उनका कोई लेना देना व वास्ता रहा। गलत इन्द्राज की आड में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगा० 7 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से मिली भगत करते हुए आराजी का बेचान कर दिया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से मिली भगत कर नुमायशी बैयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकार करा लिया। जो इंतकाल प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा० 7 का वर्णित आराजी पर कोई कब्जा व काश्त नही रहा, जिनके द्वारा आराजी का बेचान दिनांक 19.01.2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है जिसका इंतकाल दिनांक 05.04.2017 यानि करीब 6 साल बाद स्वीकार कर दर्ज किया गया है। इससे साफ जाहिर व साबित होता है कि जो बैयनामा कराया गया है वह आपस में मिलीभगत व साजबाज होकर केवल मिल अपीलान्ट के हिस्से की आराजी को हडप करने की नियत से कराया गया है जो नुमायशी बैयनामे के 6 साल बाद इंतकाल स्वीकार करना स्वतः ही गलत साबित होता है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। इंतकाल के स्वीकार होने से मिन अपीलाण्ट के हक व हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडता है अपीलाण्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिए उक्त इंतकाल संख्या 909 निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त इंतकाल की प्रारम्भ से कोई जानकारी नही थी। दिनांक 08.02.2019 को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा मिन अपीलाण्ट को वर्णित आरजी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की। इंतकाल की जानकारी होने पर इंतकाल की नकल हेतु आवेदन किया दिनांक 12.02.2019 को इंतकाल की नकल प्राप्त हुई। वकील साहब से सलाह ली गई, वकील साहब ने अपील करने की सलाह देने पर इंतकाल संख्या 909 दिनांक 05.04.2017 के विरूद्ध अपील पेश की गई। अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं इसके साथ प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर इंतकाल संख्या 909 दिनांक 05.04.2017 ग्राम पंचायत नंगला रायसीस को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प नंगला रायसीय में पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उप०। वकील अपीलाण्ट को सुना। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजा यथा प्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 909, फोटोकापी हलफनामा दिनांक 09.08.2010 अशोक, नत्थू, लाली, गुड्डो पुत्र–पुत्रियान शेरसिंह एवं फोटोप्रति शपथ पत्र दिनांक 19.12.2006 सुरेश चन्द, रमेश चन्द, महेश चन्द, छोटेलाल, सुरेन्द्र पुत्रान झम्मन लाल पर मनन किया। अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत नंगला रायसीस के आदेश दिनांक 05.04.2017 इंतकाल संख्या 909 अपास्त किया जाता है। एवं पत्रावली इस निर्देश को साथ नायब तहसीलदार बहादरपुर को प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान को पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत नंगला रायसीस में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)